संख्या :1769 /IV(1)/2009–127(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :18 दिसम्बर, 2009

विषयः कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत मेला सुविधाएं विकसित किए जाने हेतु ''उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्रा. लि.'' (यू.आई.पी.सी.) को कन्सल्टेंट नियुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1584/IV(1)/2009–127(कुम्भ)/2009 दिनांक 16.11.2009 एवं शासनादेश संख्या 1607/IV(1)/2009–127(कुम्भ)/2009 दिनांक 24.11.2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिनके द्वारा कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत विभिन्न मेला सुविधाएं विकसित किए जाने हेतु ''उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कम्पनी लि.'' (यू–डेक) को कन्सल्टेंट नियुक्त करते हुए रू. 05लाख कन्सल्टेंसी शुल्क प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू–डेक, देहरादून के पत्र संख्या यू–डेक/09–10/251 दिनांक 02.12.2009 के द्वारा कुम्भ मेला, 2010 प्रारम्भ होने के अन्तिम क्षणों में उक्त कार्य को किए जाने में असमर्थता व्यक्त कर दी गई है। तत्पश्चात प्रबंध निदेशक, ''उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्रा. लि.'' (यू.आई.पी.सी.), देहरादून के पत्र संख्या UIPC/MD/KUMBH/001 दिनांक 05.12.2009 के द्वारा उक्त कार्य को 'यू–डेक' को दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही कराए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

3. तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि में कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत विभिन्न मेला सुविधाएं विकसित किए जाने हेतु ''उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कम्पनी लि.'' (यू–डेक) को प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त करते हुए, ''उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्रा. लि.'' (यू.आई.पी.सी.), देहरादून को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ कन्सल्टेंट नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप मेलाधिकारी द्वारा 'यू.आई.पी.सी.' से विभिन्न मेला सुविधाओं के विकास एवं विज्ञापन बिक्री से आय प्राप्त किए जाने हेतु समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) सम्पादित किया जाएगा।

2. उक्तानुसार कल्सल्टेंट नामित किए जाने के फलस्वरूप 'यू.आई.पी.सी.' द्वारा कम से कम रू. 5.00 करोड़ (रू. पाँच करोड़ मात्र) की आय राज्य सरकार को अर्जित करायी जायेगी।

3. 'यू.आई.पी.सी.' द्वारा अधिकतम आय अर्जित किए जाने में 'यू.आई.पी.सी.' से मेलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों इत्यादि को तीव्रगति से अन्तिम रूप देने हेतु निम्नवत स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन किया जाता है : –

1–	आयुक्त, गढवाल मण्डल	–	अध्यक्ष
2–	मेलाधिकारी, हरिद्वार	–	सदस्य सचिव
3–	पुलिस उपमहानिरीक्षक, कुम्भ	–	सदस्य
4–	वित्त नियंत्रक, कुम्भ मेला	–	सदस्य
5–	जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), हरिद्वार	–	सदस्य
6–	श्री राजेश नैथानी, सलाहकार, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
7–	श्री अशोक शर्मा, विशेष कार्याधिकारी (सूचना), मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड	–	सदस्य

4. उक्त कार्य हेतु मेलाधिकारी द्वारा 'यू.आई.पी.सी.' को उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24.11.2009 के अनुसार रू. 05लाख कन्सल्टेंसी शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

5. शेष शर्तें व प्राविधान उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 16.11.2009 के अनुसार यथावत होंगे।

6. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 16.11.2009 एवं शासनादेश दिनांक 24.11.2009 को सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या :1769 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक। 18/12/09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
12. प्रबंध निदेशक, "उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्रा. लि." (यू.आई.पी.सी.), 88 गोविन्द नगर, रेसकोर्स, निकट पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्फ्रा हाउस, 76/45, साकेत, लेन नं. 2, राजपुर रोड, देहरादून।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।